| Sl. No. | Name of the Project | Sector | Capacity | Status of clearances |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Jawaharnagar TPP | Private | 800 MW | Returned as inputs, like fuel linkage, water availability, etc., not tied up. |
| 4. | Srinnagar HEP | Private | 330 MW | Returned as inputs were not tied up. |
| 5. | Rosa TPP | Private | 567 MW | Scheme under examination. |

Techno-economic clearance for the schemes 2 to 5 will be subject to the appraisal by CEA and tying up of necessary inputs/linkages by the project authorities.

**Investment made in the power sector**

578. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the total amount of investment made in power sector during 8th Plan period;

(b) whether Government propose to step up investment in the power sector during 9th plan;

(c) if so, the fund earmarked therefor; and

(d) the state-wise details of the investment proposed to be made in that plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The likely expenditure in the Eighth Plan in Public Sector is Rs. 76067.19 crores.

(b) to (d) The 9th five Year Plan (1997-2002) is still under finalisation in the Planning Commission. It has, however, been decided that the power sector will be funded on a priority basis.

**राज्य विद्युत बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कदम**

579. **श्री नागमणि:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक प्रभावी बनाने एवं उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कोई समिति बनाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को असफल घोषित करके इस कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ):** (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने 16.10.76 तथा 3.12.86 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सम्मति के आधार पर विद्युत हेतु एक समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना (सी०एम०एन०पी०पी०) का गठन करके उसके क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को परिपत्रित कर दिया है। इस कार्य योजना में राज्य बिजली बोर्डों को स्वायत्तता, प्रबंधन पद्धतियों तथा रा०वि०बो० के भौतिक मानदण्डों में सुधार हेतु प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा अधिक सुस्पष्ट प्रणालियों को अपनाया जा सके जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।